

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : ई-12/एम/वरिष्ठता/वा0चा0/09/ 511 दिनांक 29-5-09


समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन, राजस्थान ।

विषय:- च0श्रे0कर्मचारी से वाहन चालक के पद पर पदोन्नति बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार वाहन चालक के पदों को 90 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 10 प्रतिशत पद च0श्रेक0संवर्ग के कर्मचारी जो कि वाहन चालक के पद की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं, के अनुसार भरने का प्रावधान हैं । जिसके अनुसार आपके अधिन कार्यरत जिलों के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत वाहन चालक के पदों में से आपके द्वारा कितने पदो पर सीधी भर्ती से नियुक्ति दी गई तथा कितने पदों पर च0श्रे0संवर्ग से पदोन्नति दी गई तथा वर्तमान में वाहन चालक के कितने पद रिक्त है कि सूचना संलग्न प्रोफार्मा में तैयार कर तुरन्त फैंक्स/विशेष वाहक के साथ निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना एकजाई कर राज्य सरकार को भिजवाई जा सके । सूचना में किसी प्रकार के विलम्ब को गंभीरता से लिया जायेगा ।

प्रपत्र(वाहन चालक पद हेतु)

क0सं0	सीधी भर्ती कोटा 90 प्रतिशत			पदोन्नति कोटा 10 प्रतिशत		
	स्वीकृत पद	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पद	भरे जाने वाले पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7



अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-12/एम/वरिष्ठता/वा0चा0/09/ 511

दिनांक : 29-5-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3)विभाग, राज0जयपुर ।
- 2- प्रभारी, सर्वर रूम, कमरा नं0 302, मुख्यालय ।


अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर